

हरियाणा माननीय शव नपिटान वधियक 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा कैबिनेट ने एक मसौदा वधियक को मंजूरी दी, जिसमें किसी मृत व्यक्तिके शरीर के साथ किसी भी वरिध प्रदर्शन पर रोक लगाने का प्रावधान है।

मुख्य बदि:

- एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस ऐतिहासिक वधियक का उद्देश्य मृतकों का सभ्य और समय पर अंतिम संस्कार सुनिश्चित करना है।
- किसी मृत व्यक्तिके प्रति सम्मान और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, किसी को भी मृत शरीर का समय पर अंतिम संस्कार न करके किसी भी वरिध या आंदोलन के माध्यम से कोई भी मांग उठाने या किसी भी मांग को आगे बढ़ाने का प्रलोभन देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
- किसी भी व्यक्तिको किसी भी रूप में किसी निकाय को वरिध या प्रदर्शन के साधन के रूप में उपयोग करने से रोकना आवश्यक है।
 - प्रस्तावित कानून उन मामलों में सार्वजनिक अधिकारियों की ज़िम्मेदारी पर भी जोर देता है जहाँ परिवार के सदस्य किसी शव को अस्वीकार कर देते हैं, जिससे उचित अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया जाता है।
- यह ध्यान रखना उचित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, गरमा और उचित व्यवहार का अधिकार न केवल जीवित व्यक्तिको बल्कि उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर को भी मिलता है।
- राज्य मंत्रिमंडल ने वदिश जाने के इच्छुक नरिदोष लोगों को धोखा देने वाले ट्रैवल एजेंटों पर लगाम लगाने के लिये एक और मसौदा वधियक 'हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण और वनियमन वधियक 2024' को भी मंजूरी दे दी है।
 - मसौदा वधियक में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना ट्रैवल एजेंट का पेशा नहीं अपना सकता है।
 - सक्षम प्राधिकारी आपराधिक गतिविधियों और शर्तों के उल्लंघन के आधार पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कर सकता है।
 - रद्द किये गए पंजीकरण ट्रैवल एजेंट को एक नरिधारित अवधि के लिये पेशे से वंचित कर देगा।
 - मानव तस्करी या जाली दस्तावेज़ बनाने में शामिल व्यक्तियों को 10 वर्ष तक की कैद और 2 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
- हरियाणा सरकार अपने नागरिकों को अवैध आप्रवासन घोटालों का शिकार होने से बचाने के लिये प्रतिबद्ध है।
 - प्रस्तावित कानून ट्रैवल एजेंटों को वनियमित करने, आप्रवासन से संबंधित सेवाओं में पारदर्शिता, वैधता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है।